UPBL010006172023

न्यायालय Special Judge (Pocso Act)/

Additional Sessions Judge - 8, Ballia

पीठासीन अधिकारी–(Sri Govind Mohan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02687**

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र 230/2023

अजय पाण्डेय पुत्र रामअशीष पाण्डेय, साकिन इन्दासो, थाना नगरा, जिला बलिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

————बनाम————

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी

मु0अ0सं0 73/2022
धारा–376,506,354क,354घ,120बी भा0दं0सं0 व
5एल/6 पाक्सो एक्ट व
67 आई.टी.एक्ट
थाना नगरा, जिला बलिया।

दिनांक–03–02–2023

प्रार्थी/अभियुक्त अजय पाण्डेय की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–73/2022 अन्तर्गत धारा–376,506,354क,354घ,120बी भा0दं0सं0 व धारा–5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व 67 आई.टी.एक्ट थाना नगरा, जिला बलिया के मामले जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक के भाई अजीत कुमार पाण्डेय पुत्र रामअशीष पाण्डेय द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रश्नगत मामले के वादी मुकदमा सूर्यदेव पाण्डेय ने संबंधित थाने को इस आशय की लिखित सूचना दिया कि वादी की पुत्री/पीड़िता जनता इण्टर कालेज नगरा में कक्षा 11 में पढ़ती है तथा उसकी उम्र 17वर्ष है। वादी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को अजय पाण्डेय बहला फुसलाकर शादी का झॉसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा तथा उपरोक्त कृत्य की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है और वादी की पुत्री/पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दिनांक 17.03.2022 को समय लगभग 10.00बजे दिन में वादी की पुत्री/पीड़िता के पास एक मोबाइल जिसका सिम नं0 6394594151 मिला, तब मोबाइल के बारे में पूछने पर पीड़िता ने बताया कि अजय पाण्डेय ने वादी की पुत्री को शादी का झॉसा देकर दबाब डालकर पिछले लगभग 8 महीने से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है तथा संबंध बनाने से इंकार करने पर मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देने तथा अपहरण कर हत्या करने की धमकी देता था तथा वादी की लड़की को अजय पाण्डेय ने मोबाइल दिया था अर्थात सिम भी दिया था तथा वादी की लड़की को उसी मोबाइल से गन्दी गन्दी मैसेज व गन्दी बात करता था तथा व्हाटस पर किया गया अश्लील बातें तथा चैटिंग व रिकार्डिंग व्हाटस अप

Digitally signed by GOVIND MOHAN
Date: 2023.02.06 15:51:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर भेजता है तथा दूसरे लोगों को भी भेजा है। वादी की पुत्री ने कहा कि कृष्णा गुप्ता जो अजय पाण्डेय का करीबी मित्र है, अक्सर मुझे स्कूल जाते समय मिलता था और अजय पाण्डेय के बताये जगह पर मिलने के लिए दबाब डालकर अपने साथ ले जाया करता था। वादी की पुत्री कह रही है कि अजय पाण्डेय के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न से व कृष्णा गुप्ता के बार बार परेशान व तंग करने से आजिज होकर मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ। प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा की सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना में अभियुक्तगण अजय पाण्डेय व कृष्णा गुप्ता के विरूद्ध धारा–376,507 भा0दं0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध धारा–507 भा0दं0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा–506,354क, 354घ,120बी भा0दं0सं0 व धारा–5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की वृद्धि की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में न तो योजित किया गया है और न ही लम्बित है। आवेदक निर्दोष है, आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे फर्जी व मनगढ़न्त कहानी बनाकर झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक को गांव की पार्टीबन्दी व प्रधानी की रंजिश को लेकर गुटबन्दी में गलत व फर्जी मुकदमें में फंसाया है। आवेदक ने कभी भी पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया है। उसे गांव की ग्रामीण राजनीति व रंजिशवश झूठे एवं गलत मुकदमें में फंसाया गया है। कथित घटना परिवार के लोगों व पुलिस के बहकावे में आकर पीड़िता के पिता ने कथित मुकदमा पंजीकृत करवाया है। कथित पीड़िता पूर्णतः बालिग है। आवेदक वर्तमान में भारतीय थल सेना में कार्यरत है। अतएव मुकदमें से पलायन का कोई भय नहीं है। गावं की पार्टीबन्दी व रंजिश की वजह से आवेदक को नौकरी से हटवाने के लिए यह कुत्सित प्रयास वादी मुकदमा व पीड़िता द्वारा किया जा रहा है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 23.01.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है तो उसकी नौकरी पर संकट आ सकता है जिससे उसकी और उसके परिवार की आजीविका प्रभावित होगी। सहअभियुक्त कृष्णा गुप्ता की जमानत इस मुकदमें में हो चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया तथा यह कथन किया गया कि पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दं0प्र0सं0 में कहा है कि 8 महीना पहले की घटना है, जब हम स्कूल जाते थे तो अजय पाण्डेय व कृष्णा गुप्ता मेरा पीछा करते थे और गन्दे गन्दे कमेंट करते थे। ये लोग हमें मोबाइल नम्बर देने को बोले तो हम मना कर दिये, इस पर अजय ने जान से मारने की धमकी दिया और मेरे घर वालों को भी मारने की धमकी दिये। हम मोबाइल ले लिये और अजय से बात करने लगे, कुछ दिन बाद अजय और कृष्णा हमें अपने साथ रसड़ा में होटल में ले गये। अजय ने मेरा बलात्कार किया हम चिल्लाये तो मेरा मुँह बन्द कर दिया, हमें मारा पीटा। अजय ने मेरा वीडियो भी बनवाया, उसने हमसे कहा कि ये घटना किसी को बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे।

उसने कृष्णा के मोबाइल पर भेज दिया उसने इसके बाद कई बार शारीरिक संबंध बनाया। मुझे हर बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐसा किया। अभियोजन की ओर से बहस के दौरान तर्क किया गया कि अभियुक्त कृष्णा की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। विवेचक की ओर से दौरान विवेचना पीडिता की उम्र के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 हाईस्कूल परीक्षा 2020 प्रमाणपत्र सह अंक पत्र की छायाप्रति संकलित किया है जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15.07.2004 अंकित है। इस प्रकार पीड़िता घटना की तिथि को अवयस्क थी। समाज में आये दिन इस तरह की गम्भीर घटनाएं होने लगी है। इस प्रकार के अभियुक्तों पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। ये समाज की दशा एवं दिशा को गलत दिशा की ओर प्रभावित कर रहे हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय प्रकृति का एवं आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गई।

वादी मुकदमा फुनटुन प्रसाद की ओर से प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

मैंने उभयपक्ष को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक की ओर से दौरान विवेचना पीडिता की उम्र के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 हाईस्कूल परीक्षा 2020 प्रमाणपत्र सह अंक पत्र की छायाप्रति संकलित किया है जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15.07.2004 अंकित है। इस प्रकार पीड़िता घटना की तिथि को अवयस्क थी। पीडिता ने धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान में भी स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने का कथन किया है।

अभियुक्त/आवेदक गम्भीर अपराध में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त के कृत्य एवं तत्सम परिस्थितियॉ अपराध के बावत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रतीत होता है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा गुण दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है–

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अजय पाण्डेय का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–73/2022 अन्तर्गत धारा–376,506,354क,354घ,120बी भा0दं0सं0 व धारा–5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व 67 आई.टी.एक्ट थाना नगरा,, जिला बलिया निरस्त (Reject) किया जाता है।

दिनांक–03–02–2023

(गोविन्द मोहन)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–8
बलिया।

टाईपकर्ता–
अनीस अली
आशुलिपिक